FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....भरतपुर.....

.....महेन्द्र सिंह.....बनाम.....बृजेन्द्र सिंह.....

किस्म मुकदमा.....225.....नं0 .....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.12.2017	अपील ग्राह्यता बाबत् सुना गया। अपीलाण्ट अभिभाषक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 अन्तर्गत आदेश 039 रूल 3 व रूल 4 में अपील संधारणीय बताते हैं। हमने गौर किया, अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील संधारणीय नहीं है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अनुतोष, रिवीजन से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके निर्णय दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। अतः अपील संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुन कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधि अनुरूप अधिकतम एक माह में निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हों। निर्णय सुनाया गया। (अनिल कुमार वार्ष्णेय) आर0ए0एस0 भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official